

केस न0.....

(कार्यालय प्रयोगार्थ)

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(कृपया दिए गए निर्देश पढ़ें)

प्रवर्जन (माईग्रेसन) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

अदा की गई राशि.....

बैंक ड्राफ्ट न0.....

बोर्ड रसीद संख्या.....

दिनांक

ख) एनरोलमेंट नम्बर

ग) परीक्षार्थी का नाम

पिता का नाम.....

इस बोर्ड से उत्तीर्ण पिछली परीक्षा का विवरण :

परीक्षा का नामवर्षसत्रअनुक्रमांक

प्राप्तांकश्रेणी

संस्था का नाम (यदि मान्यता प्राप्त है) या जिल का नाम जहाँ से स्वयंपाठी (प्राइवेट) विद्यार्थी ने पिछली परीक्षा पास को

विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम जहाँ आवेदक माईग्रेट होना चाहता है

पत्राचार का पता:

.....

.....

फोन न0:

दिनांक :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

.....

(कार्यालय प्रयोगार्थ)

परीक्षार्थी के विवरण का सत्यापन कर लिया गया है। अतः माईग्रेसन प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

अधीक्षक (प्रमाण-पत्र)

सहायक(प्रमाण-पत्र)

लिपिक (प्रमाण-पत्र)

आवश्यक दिशा—निर्देश

1. सभी आवश्यक कालम आवेदक द्वारा सावधानीपूर्वक भरे जाने चाहिए। यदि आपका फार्म पूर्ण रूप से नहीं भरा है तो देरी के लिए कार्यालय की जिम्मेवारी नहीं होगी।
2. माईग्रेशन प्रमाण पत्र की फीस निम्न प्रकार से है —
 1. उनके लिए जिन्होंने आठवीं/दसवीं/बारहवीं परीक्षा पास की है। 200/— रुपये
 2. उनके लिए जिनका मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र खो गया है और जिन्हें दूसरा माईग्रेशन प्रमाण पत्र चाहिए। 200/— रुपये
3. माईग्रेशन शुल्क किसी भी केस/स्थिति में वापिस देय नहीं होगा।
4. माईग्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन के पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर जारी कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आवेदन पत्र पूरी तरह से भरा गया हो और वांछित शुल्क भी अदा किया गया हो। प्रार्थी के अलावा माईग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए कोई अन्य व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। माईग्रेशन प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा दस्ती प्राप्त कर सकते हैं।
5. नियमानुसार माईग्रेशन प्रमाण पत्र केवल उन विद्यार्थियों को जारी किया जा सकता है, जिन्होंने आठवीं/दसवीं/बारहवीं कक्षा इस बोर्ड से पास की हो। इन परीक्षाओं/कक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी माईग्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
6. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक बोर्ड के साथ सभी प्रकार के पत्राचार में परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, उत्तीर्ण की गई परीक्षा का विवरण और बोर्ड की रसीद संख्या व अदा किए गए शुल्क की तारीख सहित सही जानकारी दी जानी चाहिए।
7. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र हेतु बोर्ड कार्यालय की वैबसाइट पर आवेदन फार्म व हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म व शुल्क स्वीकृत होगा, जिसके लिए परिवार पहचान-पत्र की अनिवार्यता है।
8. अन्य राज्यों के परीक्षार्थी जिन्होंने आठवीं/दसवीं/बारहवीं कक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से उत्तीर्ण की है, वे माईग्रेशन प्रमाण-पत्र के लिए सम्बन्धित राज्यों की निवास सम्बन्धित दो पहचान-पत्र आवेदन-पत्र के साथ लगाकर ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी इस आवेदन को रूपये 200/— का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के नाम देय होना चाहिए।
9. त्रुटिपूर्ण आवेदन होने पर त्रुटि के सम्बन्ध में आवेदक को फोन द्वारा या ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। त्रुटि समाधान न होने पर आवेदन एक माह में रद्द कर दिया जाएगा।

नोट: परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले कोई भी माईग्रेशन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

Case No.
(For Office use only)

Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Application Form for Migration Certificate)
(Please see instructions overleaf)

Fee deposited Rs.....
Bank Draft No.
Board's Receipt No.
Dated

Enrollment No.....

Name (In Capital).....

Father's Name

Particulars of last examination passed from this Board:

Name of Examination.....Year..... Session.....

Roll No.....Marks obtained Division..... Name of institute
(If Recognised) or District (in case of private student) from where the applicant appeared in the last
examination.....

Name of the Board/University to which the candidates wants to migrate

Correspondance Address

.....

.....

Contact No.

Dated

Signature of Candidate

(For office use only)

Particular of the candidate verified. Migration Certificate may be sanctioned please.

Supdt.(Certificate)

Assistant

Clerk

(Important Instruction)

1. All the required particulars should be carefully filled in by the candidate. The office will not be responsible for any delay in case the form is not completed in all respects.
2. Fee for Migration Certificate is given below:
 - a) Fee for those who have passed Middle/Secondary/
Senior Secondary Examination Rs. 200/-
 - b) For those who have lost their original Migration
Certificate and require another one. Rs. 200/-
3. Migration fee is non-refundable in any case.
4. The certificate will ordinary issued within fortnight of the receipt. No person is entitled to apply on behalf of another person or to receive his own or another person's certificate personally from the Board's office. The certificate will always be sent under Registered Post.
5. Migration Certificate can be issued to those candidates who have passed Middle/Secondary/
Senior Secondary Examination from this Board.
6. In correspondance with the Board with regard to non-receipt of Migration Certificate, name of candidate, father's name, particulars of last examination passed, fee receipt No. with date must be quoted.
7. Online application can be submitted through link available on Board's website www.bseh.org.in or Saral Portal of Govt. of Haryana. Family Identification Details/Number is compulsory for online submission.
8. Candidate resident of other state who passed Middle/Secondary/Sr. Secondary Examination from the Board of School Education Haryana, Bhiwani. They can apply offline for Migration Certificate with two residence ID's proof of their state. They can send their application by post with Rs. 200/- through Demand Draft in favor of the Secretary, Board of School Education Haryana, Bhiwani.
9. Application with discrepancy is rejected after one month, if candidate are not resolve the discrepancy. Candidate is informed about his discrepancy by phone/Email.

Note: No Migration Certificate will be issued before the exam results are declared.